

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ. 7-35-2013-उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजीव चन्द्र दुबे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (2003) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम को मध्यप्रदेश खाद्य आयोग में पदेन सदस्य-सचिव घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ. 7-35-2013-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 21st July 2017

No. F 7-35-2013-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under Section 16 (1) and (2) of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013) and in compliance to the provisions contained in Chapter V of the Madhya Pradesh Food Security Rules, 2017 the State Government hereby declare Shri Rajeev Chandra Dubey, Indian Administrative Service (2003) Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Transport and Managing Director, Madhya Pradesh State Road Transport Corporation as ex-officio Member-Secretary to Madhya Pradesh Food Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B.K. CHANDEL, Dy. Secy.